

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) (एसीपी विविध)अलेसे-III/ 3453-3475

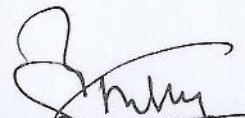
दिनांक 13/5/2014

विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष

विषय :- द्वितीय एसीपी स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार के द्वितीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रकरण में निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 06 के अनुसार आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण प्रेषित करें-

क्र. स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	पदस्थापन स्थान	मैरिट / बैच	आक्षेप का विवरण
01	02	03	04	06
01	अनिल कुमार विजय	सहायक निदेशक, उद्यान, दौसा	361/94	प्रकरण संलग्न निर्धारित प्रारूप में भिजवावें, एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05 से 06-07, 09-10 एवं 12-13, भिजवावें
02	आनन्दी लाल कुमावत	उपकोषालय, सांभरलेक, जयपुर	377/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05 से 08-09, भिजवावें
03	रूपाराम चौधरी	कोषाधिकारी, पाली	546/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 10-11 से 12-13, भिजवावें
04	धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	उपनिदेशक, कृषि विभाग, करौली	16/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 06-07 से 12-13, भिजवावें
05	बहादुर मल सैनी	तहसीलदार, नीमकाथाना, सीकर	96/94	प्रकरण निर्धारित प्रारूप में भिजवावें, एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05, 05-06, 08-09, 10-11, एवं 12-13, भिजवावें
06	भंवर लाल रणवा	तहसीलदार कुचामन सिटी, नागौर	7/94	प्रकरण निर्धारित प्रारूप में नहीं, भिजवावें
07	डालाराम	उपकोषाधिकारी, छतरगढ़, बीकानेर	98/92	वित्त विभाग का आदेश दिनांक 27.7.2013 संलग्न कर प्रेषित हैं।
08	जतीश कुमार दुबे	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड प्रथम कोटा	87 आर/92	प्रथम चयनित वेतनमान एक वर्ष देरी से स्वीकृत होने के कारण II एसीपी एक वर्ष पश्चात 17.6.2014 से स्वीकृति योग्य
09	गुलाब चन्द जाट	कोषालय चित्तौड़गढ़	233/88	दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने के कारण द्वितीय एसीपी देय नहीं।
10	मदन लाल जीनगर	कोषालय, जालौर	आर-153 /92	दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण एसीपी देय नहीं।


(डा० अरविन्द्र कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)
दिनांक

क्रमांक:- एफ.4(ई) (एसीपी विविध)अलेसे-III/